उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर बढ़ाई सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

2 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में ‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना’ के तहत युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के लिये दिशा-निर्देश बदल दिये गए हैं, जिसके बाद अब लोग 200 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। इन प्रोजेक्ट पर सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि ‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना’ के तहत प्रदेश में 10 हज़ार सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट लगाने वालों को 15 से 25 प्रतिशत सब्सिडी का भी प्रावधान था। योजना के तहत 20 से 25 किलोवाट तक के ही प्रोजेक्ट लगाए जा सकते थे।
- इस योजना में युवाओं ने उत्साह नहीं दिखाया, जिसकी वजह से लक्ष्य के सापेक्ष केवल 120 प्रोजेक्ट ही लग पाए। इसीलिये अब सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है।
- नई नियमावली के तहत अब सब्सिडी 15 से 40 प्रतिशत तक मिलेगी। 20 से 25 किलोवाट के स्थान पर 50 किलोवाट, 100 किलोवाट और 200 किलोवाट के परियोजना संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।
- युवाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिये सरकार ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को लगाने में आने वाली लागत की दर भी 40 हज़ार रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए प्रति किलोवाट कर दी है। माना जा रहा है कि इससे मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना में युवाओं का रुझान बढ़ेगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-increased-subsidy-on-solar-power-project